रजिस्ट्री सं. डी. एल.—33004/95

REGD. NO. D. L.—33004/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 204] नई दिल्ली, सोमवार, मई 15, 1995/वैशाख 25, 1917
No. 204] NEW DELHI, MONDAY, MAY 15, 1995/VAISAKHA 25, 1917

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मई, 1995

सा. का. नि. 390 (अ) :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन दूरदर्शन एककों में समूह "ग" कार्यक्रम (तकनीकी कैमरामैन) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दूरदर्शन कार्यक्रम (तकनीकी कैमरामैन समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1995 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वह होगा, जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि :—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता :—वह व्यक्ति :—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयुसीमा
1	2	3	4	5	6	7
कैमरामैन श्रेणी III	150* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह—'ग' अननुसचिवीय, साधारण केन्द्रीय सेवा	1600-50-2300-द. रो. 60-2660 रुपए	अचयन	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं। केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण :—आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अंदमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
आवश्यक : 1. 10+2 स्तर या समतुल्य उत्तीर्ण (अधिमानतः विज्ञान विषयों सहित) 2. चलचित्र फोटोग्राफी या ऐसी फोटोग्राफी में तीन वर्ष का अनुभव जिसमें किसी फिल्म निर्माण कम्पनी, टी. वी. ब्राडकास्टर, पूर्ति कम्पनी या किसी वीडियो स्टूडियो में सहायक कैमरामैन के रूप में 16 एम. एम./135 एम. एम. न्यूमैटिक कैमरा से कार्य किया हो या समाचारपत्र/समाचार अभिकरणों में कार्यरत ऐसा स्वतंत्र चल फोटोग्राफर जिसके पास स्वतंत्र रूप से तीन वर्ष कार्य करने का अनुभव हो। [यदि उपर्युक्त मापदण्ड पूरा हो जाता है तो चयन स्तम्भ 8 में वर्णित किसी चयन समिति द्वारा सीधी भर्ती से निम्नलिखित द्वारा किया जाएगा : (1) एक तकनीकी कैमरा परीक्षण और (2) साक्षात्कार	नहीं	2 वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा
11	12
50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा. 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	ऐसे नियमित प्रकाश सहायक (1400-2300 रुपए) से प्रोन्नति जिन्होंने पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और भारतीय जनसंचार संस्थान या विभागीय प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित तीन मास का सपरिवर्तन पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति: (1) संबंधित केन्द्र का निदेशक (2) वीडियो कार्यपालक या ज्येष्ठ कैमरामैन श्रेणी 1 (3) दूरदर्शन महानिदेशक का प्रतिनिधि जो उप कार्यक्रम नियंत्रक से नीचे के स्तर का न हो।	लागू नहीं होता।

[सं० 505/1/95-टीवी (ग)]

नवीन चावला, संयुक्त सचिव (प्रसारण)

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th May, 1995

G.S.R. 390 (E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the President hereby makes the following rules to regulate the method of recruitment of Group 'C' Programme (Technical Cameraman) posts in the units of Doordarshan under the Ministry of Information and Broadcasting, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Doordarshan Programme (Technical Cameraman Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1995.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Number of posts, their classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereof shall be as specified in columns 2 to 4 of the said schedule.

3. Method of Recruitment, age limit, qualifications.—The method of recruitment to the aforesaid post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification:—No person,—

(i) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(ii) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations relaxation of age limit and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes; the Scheduled Tribes, other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services Pension Rules, 1972
1	2	3	4	5	6
Cameraman Grade-III	150* *(Subject to variation depending on workload)	Group-C, Non-Ministerial, General Central Service	Rs. 1600-50-2300-EB-60-2660/-	Non-Selection	Not applicable

Age limit for direct recruits	Education and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
7	8	9
Not exceeding 30 years (Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with the instructions orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India. (Other than those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division, of Jammu and Kashmir State, Lahaul & Spiti districts of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep).	Essential: 1. Passed 10+2 Standard or equivalent (Preferably with Science subjects) 2. Should have a minimum three years experience in motion picture photography or photography involving handling of 16mm/35mm, U-matic cameras as Assistant Cameraman with any movie production company, TV software supply Company or any video studio; or Independent Still photographer working with news paper/news agencies with a minimum of three years independent experience. If above criteria met then selection will be done by a Selection Committee as already detailed in Col. 13 which will select Direct Recruitment by: (i) a technical camera test, and (ii) interview.	No

Period of probation, if any	Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made
10	11	12
Two years	By promotion- -50% (failing which by direct recruitment) By direct recruitment- -50%	Promotion from Lighting Assistants (Rs. 1400-2300) with minimum five years regular service. AND Successfully passing 3 months conversion course (by Indian Institute of Mass Communications) or departmental training institution.

If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
13	14
Group 'C' Departmental Promotion Committee: (1) Director of concerned Kendra; (2) Video Executive or Senior Cameraman Grade-I; and (3) Representative of Directorate General, Doordarshan not below the level of Deputy Controller of Programmes.	Not applicable.

[No. 505/1/95-TV(A)]
NAVIN CHAWLA, Jt. Secy.(B)

1152 GI/95

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995